for the year 1983 has been reported by M|s. Hoechst (India) Limited.

(Rs. in lakhs)

Name of formulation	Pack size excluding excise duty for the year 1983	Turnover
Novalgin Tablets	10's strip	888·10
Novalgin vial	30 ml.	113·10
Novalgin vial	30 ml (Veterinary)	31·36
Novalgin Ampoule	5 ml. x 5 Ampoule	24·89
Novalgin vial	10 ml (Veterinary)	8·28

बिहार के बरियारपुर में एस० टी० डी० का लगाया जाना

1191. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुंगेर-भागलपुर के संचार विभाग के अधिकारियों ने बिहार के मुंगेर जिले में बरियारपुर में एस० टी० डी० लगाने की सिफारिश की है परन्तु बिहार सर्किल के अधिकारी इसको टाल देने का प्रयास कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिना एस० टी० डी० सुविधा के बरियारपुर की टेलीफोन व्यवस्था बेकार सिद्ध हो रही है और इसकी सूचना उनके मंत्रालय को बार-बार दी गयी है ;

(ग) क्या यह सच है कि नीचे से जो सिफारिश की गयी है उसमें बहुत कम खर्च है और उपभोक्ता के लिये बहुत उपयोगी है ; और

(घ) यदि हां, तो वहां एस० टी० डी० सुविधा कब तक प्रदान कर दिये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) बरियारपुर को एस०टी० डी० के माध्यम से राष्ट्रीय नेटवर्क से जोडने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, बरियारपुर को मुंगेर के साथ इंटर डायलिंग द्वारा जोड़ने की योजना है । सभी साज सामान प्राप्त हो जाने पर यह कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा ।

(ख) नीति संबंधी मामले के बतौर एम० ए० एक्स० III एक्सचेंजों को एसटीडी के साथ नहीं जोड़ा जाता । तथापि एम एम एक्स III एक्सचेंजों को ट्रंक संचार के लिये ट्रंक एक्सचेंज के साथ जोड़ा जाता है ।

(ग) उपरोक्त (क) को मद्दे नजर रखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) एस टी डी सुविधा प्रदान करने के लिए एम ए एक्स II एक्सचेंज का होना अनिवार्य है । अतः एस० टी डी० सुविधा तब प्रदान की जाएगी जब एम० ए० एक्स० II में बदलने और परियात की दृष्टि से औचित्य सिद्ध हो ।

तेल के कुओं में आग का लगना

1192. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत चार वर्षों में तेल के कुओं में आग लगने की वजह से 24 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 8 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस जल गई ;

(ख) क्या यह सच है कि इस गैस का उपयोग उर्वरक, पेट्रोरसायन, एल०पी०जी० आदि में नहीं किया जा सकता है जैसे कि अध्ययन दल ने सिफारिश की थी,

क्योंकि इसके उत्पादन के लिये जो प्लांट बनना चाहिये था, नही बनाने है और यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या हैं ;

(ग) क्या कारण है कि विदेशों की तरह भारत इस गैस का पावर जेनरेशन, बायलर फ्यूल आदि के लिये फीड स्टाक रूप में उपयोग नही करता है; और

(घ) अध्ययन दल के प्रतिवेदन का पूरा ब्यौरा क्या है और उसे लागू करने के लिये कब तक उचित व्यवस्था हो जायेगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) गैस के जलाये जाने/उस के उड़ने का कारण तेल के कुओं में आग लगना नही है बल्कि इसका मुख्य कारण अपर्याप्त दाब सुविधाएं, अपर्याप्त निष्कर्षण तथा डाउनस्ट्रीम उपयोग हैं।

(ख) उर्वरक तथा पेट्रोरसायन संयंत्र तथा प्राकृतिक गैस का प्रयोग कर रहे एल०पी०जी० एक्सट्रक्शन यूनिट की स्थापना के लिए उठाये जाने वाले कदमों पर सरकार ने अपनी सहमति दे दी है।

(ग) भारत में गैस का उपयोग फीड-स्टाक तथा ईधन के रूप में करने के अतिरिक्त बिजली के उत्पादन में भी किया जा रहा है।

(घ) यह स्पष्ट नही है कि माननीय सदस्य किस टीम की बात कर रहे हैं।

सबूर समिति का प्रतिवेदन

1193. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री अश्विनी कुमार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभागेतर प्रणाली संबंधी सबूर समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है, यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं, यदि नहीं, तो क्या इसने अन्तरिम सहायता के लिए कोई सिफारिश की है और इस प्रतिवेदन के कब प्रस्तुत किए जाने की आशा है ;

(ख) किन-किन संस्थाओं, यूनियनों और व्यक्तियों ने अपने अभ्यावेदन दिए है और समिति ने उनमें से किन-किन से पूछताछ की तथा उस प्रतिवेदन में सारांश के रूप में किन-किन बातों पर जोर दिया गया है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि 85 प्रतिशत कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों के हैं और सरकार शहर और गांवों में भेदभाव की नीति से काम ले रही है क्योंकि ग्रामों में उन्हें ई० डी० डाकखाने का किराया, बिजली और पानी का खर्च नही दिया जाता ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) समिति ने अभी अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। फिर भी, समिति ने अंतरिम राहत देने की सिफारिश की है।

(ख) समिति को अपनी प्रक्रिया अपनाने तथा ऐसे जानकारी मांगने और साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है जिसे वह उचित समझे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नही की है, अभी इस का प्रश्न ही नही उठता।

(ग) अधिकांशत: अतिरिक्त विभागीय कार्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं तथा अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों/अतिरिक्त विभागीय उप पोस्टमास्टरों को कार्यालय रख-रखाव भत्ते के रूप में 10 रु० प्रति माह दिया जा रहा है। शहरों और ग्रामों में स्थित अतिरिक्त विभागीय कार्यालयों के बीच कोई भेदभाव नहीं रखा गया है।

Restrictions on resale of cars

1194. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the Minister of INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state whether there is any ban or restriction on the resale of cars manufactured in India or on imported cars and if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS (SHRI ARIF MOHD. KHAN): There is no ban on resale of cars manufactured in India. Resale of imported cars is